



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, मंगलवार, शाके 1937-जनवरी 12, 2016
Pausa 22, Tuesday, Saka 1937-January 12, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2016

जी.एस.आर. 134 :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्र या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. एफ 1(8) एफ डी/जी एफ एण्ड ए आर/ 2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 44 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 44. | पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संकर्मों या सेवाओं का उपापन | ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी संबंधित समितियां | निम्नलिखित के लिए संबंधित बी.एस.आर. दरों तक: (क) श्रम (ख) संबंधित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री |
| 44 क. | स्थानीय निकायों द्वारा संकर्मों या सेवाओं का उपापन | नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम और/या कार्यकारी एजेन्सियों के रूप में उनकी संबंधित समितियां | निम्नलिखित के लिए संबंधित बी.एस.आर. दरों तक: (क) श्रम (ख) संबंधित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री |

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धार्थ महाजन,
विशिष्ट शासन सचिव।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, January 11, 2016

G.S.R. 134:- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central or the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendment in this Department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said Notification, the existing serial number 44 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 44. | Procurement of works or services by Panchayati Raj Institutions | Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads and/or their respective Committees as Executive Agencies | Up to the respective BSR rates for: (a) Labour (b) Material incidental to the works concerned |
| 44 A. | Procurement of works or services by Local Bodies | Nagar Palikas, Nagar Parishads, Nagar Nigams and/or their respective Committees as Executive Agencies | Up to the respective BSR rates for: (a) Labour (b) Material incidental to the works concerned |

**[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Siddharth Mahajan,
Special Secretary to the Government.**

Government Central Press, Jaipur.